न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 39/2018(GCMS : 2018/00066)

डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड पता एस–5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ़ टावर, हवा सड़क, सिविल लाईन जयपुर (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलेश शर्मा

बनाम

1. **श्री हंसराज** पुत्र स्व. श्री तेजुराम निवासी जगदीश की ढाणी के पास, वार्ड नं. 30, पुरानी आबादी, नियर रवि चौक, श्रीगंगानगर–335001 एवं आहता नं. 259, गली नं. 3, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर– 335001
2. **श्री दीपक** पुत्र स्व. श्री तेजुराम निवासी जगदीश की ढाणी के पास, वार्ड नं. 30, पुरानी आबादी, नियर रवि चौक, श्रीगंगानगर–335001 एवं आहता नं. 259, गली नं. 3, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर– 335001
3. **श्री जिन्दु** पुत्र स्व. श्री तेजुराम निवासी जगदीश की ढाणी के पास, वार्ड नं. 30, पुरानी आबादी, नियर रवि चौक, श्रीगंगानगर–335001 एवं आहता नं. 259, गली नं. 3, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर– 335001
4. **श्रीमती ममता** पत्नी श्री हंसराज निवासी जगदीश की ढाणी के पास, वार्ड नं. 30, पुरानी आबादी, नियर रवि चौक, श्रीगंगानगर–335001 एवं आहता नं. 259, गली नं. 3, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर– 335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 20.03.2018 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण हंजराज, दीपक, जिन्दु एवं ममता को ऋण सुविधा के रूप में 05.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण दिनांक 19.01.2015 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण हंसराज, दीपक एवं जिन्दु द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आहता नं. 259, गली नं. 03, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अभिभाषक के [illegible] **तर्कों** पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र [illegible] पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुरूप प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक/कम्पनी ने **अप्रार्थीगण हंसराज, दीपक, जिन्दु एवं ममता को 05.00/– लाख रूपये** (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 19.01.2015 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हंसराज, दीपक एवं जिन्दु ने अपनी **अचल सम्पत्ति** आहता नं. 259, गली नं. 03, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.12.0217 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 07.12.2017** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.12.2017 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध **है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण की **अचल सम्पत्ति आहता नं. 259, गली नं. 03, शक्ति नगर, पुरानी आबादी,** श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी हुई है, का ... है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित ... लिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.12.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.12.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.12.2017 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के** परिणामस्वरूप **ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है**, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक/कम्पनी की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों हंसराज, दीपक एवं जिन्दु के द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लि.. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों **हसंराज, दीपक एवं जिन्दु द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आहता नं. 259, गली नं. 03, शक्ति नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:57 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर